राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली



एन.आई.एफ.टी अधिनियम 2006 द्वारा शासित औरवस्त्र मंत्रालय द्वारा स्थापित (डिजाईन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी का एक प्रीमियर संस्थान) शैक्षणिक मामले विभाग

9327(1)/AA/NIFT-RB/Govt. Scholarship (Central Sector)/2023

दिनांक/ Dated: 30.10.2023

परिपत्र / CIRCULAR

सभी छात्रों को यह सूचित किया जाता है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ऑनलाइन छात्रवृत्ति नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन पत्र" राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल" पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आमंत्रित किए गए हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रवृत्ति के अधिक विवरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://scholarships.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में छात्रवृत्ति के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में, छात्र- छात्राएं शैक्षणिक मामलों के विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।

All the students are hereby informed that the online Fresh and Renewal Scholarship Application Forms are invited by the different Ministries of Govt. of India on "National Scholarship Portal" for the financial year 2023-24. For the details/guidelines, the students are advised to visit the official website https://scholarships.gov.in/. In this regard, in case of any difficulty the students may contact to the Academic Affairs Department, NIFT Raebareli.

सभी पात्र छात्रो (फ्रेश और रिन्यूअल) को सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 30.12.2023 को या उससे पहले शैक्षणिक मामलों के विभाग को सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति के साथ भरे हुए ऑनलाइन छात्रवृत्ति फॉर्म का प्रिंटआउट भौतिक रूप में जमा करें। 30.12.2023 के बाद किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

All eligible students (Fresh and Renewal) are advised to submit the printout of duly filled online Scholarship form along with all requisite documents to Academic Affairs Department on or before 30.12.2023. No application form will be entertained after 30.12.2023.

2nd/3rd/4th वर्ष के छात्र नई छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन के पात्र नहीं हैं।

Students of 2nd/3rd/4th year are not eligible for selection for awarding fresh scholarship.

नोट:- छात्रवृति नियमावली में दिए गए प्राविधानो के तहत छात्र का आवेदन एक ही छात्रवृति हेतु संस्था द्वारा अग्रसारित किया जायेगा | अतः छात्रो को निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृति हेतु एक ही विभाग में आवेदन करे |

> (नन्दन सिंह बोरा / Nandan Singh Bora) संयुक्त निदेशक और सी०ओ०ई०/ Joint Director & COE

प्रतिलिपि / Copy to:

- 1. निदेशक कार्यालय सूचनार्थ हेतु / The Director Office for kind information please.
- 2. सी॰ए॰सी॰, को सूचनार्थ हेतु /The CAC for kind information please.
- 3. एस॰डी॰ए॰सी, छात्रों के बीच व्यापक प्रचार के लिए / The SDAC-for wide publicity among the students.
- 4. समस्त सी॰सी॰, छात्रों के बीच व्यापक प्रचार के लिए / All CCs for wide publicity among the students.
- 5. समस्त नोटिस बोर्ड / All Notice Boards.